न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादडी

बंशीलाल ।।बनाम।। तुलसीराम वगै.

प्रकरण संख्या 16/2014 (212आर.टी.ए.)

निर्णय दिनांक :– 04.08.2022

।।आदेश।।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजी मौजा अचलपुरा में स्थित होकर जिसके आराजी नं. 111, 112, 113, 114, 117, 118 कुल किता 6 रकबा 1.99 हैक्ट. आराजी नं. 122, 125, स्थित होकर उक्त आराजी में गोकल का संयुक्त हिस्सा दर्ज था गोकल की मुत्यु हो चुकी है। खातेदार गोकाल ने दो शादी की जिसमे पहली पत्नी के प्रार्थी बंशीलाल हुआ कुछ समय पश्चात मांगीबाई पहली पत्नी थी। मृत्यु हो जाने से गोकल ने झमकू बाई से नाता विवाह किया जिसके दो पुत्र विपक्षी संख्या 1 व 2 हुये । गोकल ने जीवनकाल में अपने हक हिस्से कि आराजीयात का 1/2 हिस्सा पहली पत्नी मांगीबाई के पुत्र को दे दिया व 1/2 हिस्सा दूसरी पत्नी के दोनों पुत्रों तुलसीराम व भागीरथ को दे दिया किन्तु खातेदार गोकल की मृत्यु के पश्चात विपक्षी संख्या 1 से 4 ने राजस्व कर्मचारयों से मिलाभगती कर विरासत का नामान्तरण खोलते समय गोकलजी की आराजीया में से प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 प्रत्येक 1/5 हिस्से अनुसार नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवा लिया जबकि गोकलजी के हक हिससे की आराजीयात में प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा नाम पर दर्ज होना चाहिए था। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात की राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

प्रार्थी की बहस के खंडन में विपक्षीगण का कथन है कि प्रार्थना पत्र की कलम नं. 2, 3, 4 में वर्णित आराजीयात में गोकल का हिस्सा दर्ज होकर संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड थी। गोकल ने पहल पत्नी के मरने के बाद दूसरा विवाह विपक्षी नं. 1, 2, 3 की माता झमकूबाई से किया झमकू बाई गोकल के साथ पत्नी की हैसियत से साथ रही जिससे विपक्षी नं 1 से 3 पैदा हुये जो वर्तमान में गोकल की संपति पर ही काबिज है। विपक्षी नं 3 का विवाह भी गोकल ने ही करवाया था । गोकल ने आधा हिस्सा प्रार्थी को दिया जाना पूर्णतया गलत है। गोकल ने कोई हि[illegible] बिना वसीयत किये देहांत हो जाने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार [illegible] गोकल के वारिसान को ही प्राप्त होगा । गोकल ने अपनी आराजीयात [illegible] बटवाड़ा अप[illegible] उत्तराधिकारियों के बीच लिखित व मौखिक नहीं किया जाने से प्रार्थी का हक व हिस्सा [illegible] है गोकल के [illegible] पश्चात विरासत से खाता राजस्व अधिकारियों द्वारा खोला गया वह हिन्दू लॉ के अनुसार ही खोला गया जिस बाबत प्रार्थी ने अपनी कोई आपति दर्ज नहीं करायी गयी । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस्टोपल के सिद्धान्त से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया कोई केस प्रमाणित ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.08.16 17:36:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी साबित नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार विपक्षीगण को किसी भी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में आरआरटी 2010 (1) टिकुराम बनाम पूरणमल वगै. पेज नं. 223 की फोटोप्रति पेश की गई ।

बहस उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की सुनी गई।बहस की रोशनी में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र,जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी का अवलोकन किया जिसे स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी अनुसार प्रकरणग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं विपक्षीगण के सहखातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है। प्रार्थी के अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र मे मूल कथन है कि प्रार्थी के पिता गोकल ने अपने हक हिस्से की आराजीयात का 1/2 हक हिस्सा प्रार्थी को बटवाड़ा में दिया है। इसके खंडन में गोकल ने अपनी आराजीयात का बटवाड़ा अपने उतराधिकारीयो के बीच लिखित व मौखिक किया जाने के कोई दस्तावेज प्रार्थी पेश करने में असफल रहा है। इसलिये प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वच्छ हस्तो से नही आने से प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बनता हैं। प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बनता है तो सुविधा का संतुलन ओर अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष मे नहीं है। इसलिये प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहा है। इसलिये खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)RAS
उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी
उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.08.16 17:36:21 IST
Reason: SelfAttested